

5

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला (कांगड़ा) -176213

क्रमांक:हिशिबो(22)संचालन- VCF-13/2020-2073-172 दिनांक: 15/01/2020

“अधिसूचना”

अधिसूचित किया जाता है कि बोर्ड की 115वीं बैठक दिनांक 19.11.2019 की कार्यवाही की मद संख्या:6 के अन्तर्गत बोर्ड ने प्रतियोगी व पात्रता परीक्षाओं के संचालन के लिए निर्धारित मापदण्ड के समरूप ही केन्द्र अधीक्षक के साथ एक उप अधीक्षक व इससे अधिक संख्या पर एकल सहायक अधीक्षक के साथ ही प्रत्येक 25 परीक्षार्थी संख्या पर एक पर्यवेक्षक नियुक्त करने का मापदण्ड निर्धारित करने तथा बोर्ड के परीक्षा विनियमों के अध्याय 9 के नियम 9.1.4 में निम्न प्रकार से संशोधन को अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया है:-

| Existing Rules | Amended Rules |
|--|--|
| 9.1.4 Every affiliated institution shall provide for supervision of the examination at least one teacher for every 40 candidates or part thereof appearing at such examination from the institution concerned. | Every affiliated institution shall provide for supervision of the examination at least one teacher for every 25 candidates or part thereof appearing at such examination from the institution concerned. |


सचिव

शिक्षा निदेशालय (उच्चतर),

हिमाचल प्रदेश, शिमला-1

Tel:0177&2653120, Extn-234, Fax:2812882, E-mail: dhe-sml-hp@nic.in,

पृष्ठांकन संख्या:ई0डी0एन0-एच0ई0(21)एफ0(18)30/2019-वी दिनांक जनवरी,2020
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. सचिव, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, पिन-176213, को अधिसूचना संख्या:-हि0शि0बो0(22)संचालन-1/सीएफ-13/2020-2073-172 दिनांक 15-01-2020 के सन्दर्भ में।
2. समस्त जिला उप-शिक्षा निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, को निदेश दिए जाते हैं कि बोर्ड कार्यालय से प्राप्त अधिसूचना की प्रति को उनके अधीनस्थ स्कूलों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करें।
3. तकनीकी अधिकारी, सूचना एवम प्रौद्योगिकी कक्ष, उच्चतर शिक्षा निदेशालय को अधिसूचना की प्रति को विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करवाने बारे।।
4. रक्षक नरित।

शिक्षा निदेशालय उच्चतर शिक्षा

30 JAN 2020


संयुक्त शिक्षा निदेशक(महा0),
उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश